

कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक: 1969/14-10 दिनांक: अलीगढ़, दिसम्बर 12, 2017

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
एटा।

विषय:-

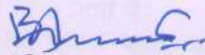
एटा में अलीगढ़-कानपुर सेक्शन (एन0एच0-91) किमी0 186 से 229 तक 04 लेन चौड़ीकरण/सुदृढीकरण हेतु 65.495 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 4940 वृक्ष व 858 पौध कुल 5798 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति।

संदर्भ:-

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, उ0प्र0 लखनऊ का पत्र संख्या 1518/एटा/22374/2016 दिनांक 04.12.2017

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा संदर्भित पत्र से लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर समस्त सूचनाओं व अभिलेखों को ऑनलाइन एवं ऑफलाइन पूर्ण कर त्रुटिरहित पूर्ण संशोधित प्रस्ताव एक सप्ताह में उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। अतः मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, उ0प्र0 लखनऊ के संदर्भित पत्र की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि आप किसी प्रतिनिधि को अधिकृत करते हुए प्रस्ताव की मूल प्रतियां तत्काल मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय से प्राप्त करा कर समस्त सूचनाओं व अभिलेखों को ऑनलाइन एवं ऑफलाइन पूर्ण कर त्रुटिरहित पूर्ण संशोधित प्रस्ताव एक सप्ताह के अन्दर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।


(बी0 प्रभाकर)

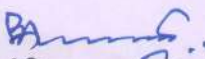
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

12

पत्रांक 1969/14-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, उ0प्र0, लखनऊ।
3. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, 31 एवं 32, ड्रीम सिटी कॉलोनी (बाल जीवन घुट्टी के सामने), जी0टी0 रोड़, सारसौल, अलीगढ़ को इस आशय से प्रेषित सम्बन्धित सूचना एवं अभिलेख प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।


(बी0 प्रभाकर)

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

12